भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2113**

(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करना**

2113. श्री नीरज शेखरः

श्री रवि प्रकाश वर्माः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारी नई पेंशन योजना को समाप्त करने तथा पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने हेतु संकल्प पारित किए हैं और इन्हें अनुमोदन और क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार अपने अंशदान को 14 प्रतिशत तक बढ़ाने के बजाय पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)

**(क) से (च):** भारत सरकार ने दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना द्वारा एक नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली आरंभ की थी, जो केंद्रीय कर्मचारियों (सशस्‍त्र बलों को छोड़कर) पर लागू है तथा उक्‍त अधिसूचना को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा के अंतर्गत राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) कहा जाता है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है और दिनांक 01.02.2014 की प्रभावी तिथि से इसे अधिसूचित किया गया है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 12(4) के अंतर्गत राज्‍य सरकारों को अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्‍त, पश्चिम बंगाल के अलावा, सभी राज्‍य सरकारों ने स्‍वेच्‍छा से अपने कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस अधिसूचित किया है।

 सरकार ने बढ़ते एवं गैर-सम्‍पोषणीय पेंशन बिल के कारण परिभाषित लाभ पेंशन योजना से परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अर्थात्‍ राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में जाने का सुविचारित निर्णय लिया है। इस परिवर्तन से अधिक उत्‍पादनशील एवं सामाजिक आर्थिक क्षेत्र-वार विकास के लिए सरकार के सीमित संसाधनों को मुक्‍त करने का अतिरिक्‍त लाभ भी हुआ है। दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्‍चात्‍ भर्ती किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस के स्‍थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

**\*\*\*\*\***